न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2025/	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/42/2025	2025/114	25.02.2025	16.07.2025

1–तीजकौर पुत्री स्व० नन्दराम पत्नी गीलाराम,
2–कश्मीरा पुत्री स्व० नन्दराम पत्नी पन्नालाल जाति जाट निवासीयान ग्राम राजवाडा तहसील मुण्डावर हाल निवासीयान ग्राम हरसोली तहसील हरसौली जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपीलान्टान

बनाम

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
2–सन्तरा पत्नी स्व० नन्दराम,
3–भगवानसिहं पुत्र स्व० नन्दराम,
4 रामकिशन पुत्र स्व० नन्दराम जातियान जाट निवासीयान ग्राम राजवाडा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
5–उपपंजियक मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
6–ब्रहमा देवी पत्नी ओमवीर जाति जाट निवासी ग्राम राजवाडा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
7–सज्जनसिंह पुत्र लखमीचन्द,
8–दिलबर पुत्र लखमीचन्द,
9–जयवीर पुत्र मूलाराम,
10–चिडिया देवी पत्नी रामप्रसाद (मृतक)
10/1–उम्मेद सिंह पुत्र स्व0 श्रीमती चिडिया देवी,
10/2–कल्लाराम पुत्र स्व0 श्रीमती चिडिया देवी जातियान जाट निवासीयान ग्राम राजवाडा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
11–सुरेश पत्र लच्छूराम,
12–लखनसिंह पुत्र लच्छूराम,
13–रणधीर पुत्र रामसिंह,
14–वेदकौर पत्नी रामसिंह,
15–बुद्वराम पुत्र चन्दर,
16–रामकुवार पुत्र हरलाल,
17–रूपचन्द पुत्र सुण्डाराम (मृतक)
17/1–भरपाई पत्नी स्व0 रूपचन्द,
17/2–जगदेश कुमार पुत्र स्व0 रूपचन्द,
17/3–दिनेश कुमार पुत्र स्व0 रूपचन्द,
17/4–शर्मिला पुत्री स्व0 रूपचन्द,
17/5–बबकेश कुमारी पुत्री स्व0 रूपचन्द जातियान जाट निवासीयान ग्राम राजवाडा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
18–भूपसिंह पुत्र सुण्डाराम,
19–मातादीन पुत्र गीधा जातियान जाट निवासीयान ग्राम राजवाडा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)
20–गुरूदयाल पुत्र मंगतूराम जाति अहीर निवासी ग्राम भीखावास तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान) (मृतक)
20/1–श्रीमती बसन्ती देवी पत्नी स्व0 गुरूदयाल,
20/2–जीतसिंह यादव पुत्र स्व0 गुरूदयाल,
20/3–महावीर सिंह पुत्र स्व0 गुरूदयाल,
20/4–महेश कुमार पुत्र स्व0 गुरूदयाल,
20/5–राजेश कुमार पुत्र स्व0 गुरूदयाल जातियान अहीर निवासीयान ग्राम भीखावास तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

रेस्पोडेन्टान

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज०)

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार मुण्डावर जिसके द्वारा इन्तकाल संख्या 281 निर्णय दिनांक 02.06.1994 वाके ग्राम राजवाडा तहसील मुण्डावर दर्ज करते समय वारिसान की जाँच किये बिना बाला बाला मृतक नन्दराम नवीरा पिराना जाति जाट निवासी ग्राम राजवाडा तहसील मुण्डावर का विरासत का इन्तकाल रेस्पोडेन्टान संख्या 2 लगायात 4 के नाम दर्ज कर दिया को निरस्त किये जाने

उपस्थित–

01. श्री अशोक चौधरी, सुन्दर लाल शर्मा –वकील अपीलान्टान
02. श्री नीरज कुमार जाट –वकील रेस्पो० संख्या 2 व 4
03. श्री चन्द्रभान शर्मा –वकील रेस्पो० संख्या 3
04. श्री पृथ्वी सिंह यादव –वकील रेस्पो० संख्या 10/1, 10/2, 20/1 लगा० 20/5
05. श्री प्रवीण कुमार –वकील रेस्पो० संख्या 17/1 लगा. 17/5, 18, 19
06. श्री शिवलाल जाट –वकील रेस्पो० संख्या 7,8,9, 10/1–10/2, 11–16

–:निर्णय:–

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार मुण्डावर के नामान्तकरण संख्या 281 निर्णय दिनाक 02.06.1994 वाके ग्राम राजवाडा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा जिसके द्वारा विधि विरूद्व बिना वारिसान की जॉच किये बिना ही विरासत का नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 के नाम दर्ज कर स्वीकृत किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा संख्या 281 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, 316 रकबा 01 बीघा 02 बिस्वा, 322 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा, 416 रकबा 0–10 बिस्वा, 429 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, 455 रकबा 0–15 बिस्वा, 476 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, 502 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा 1061 रकबा 0–14 बिस्वा, 1063 रकबा 0–14 बिस्वा, 1097 रकबा 01 बीघा 05 बिस्वा, 1124 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा किता 12 रकबा 21 बीघा 02 बिस्वा सालिम व खसरा नम्बर 314 रकबा 0–16 बिस्वा का 1/3 हिस्सा स्थित वाके ग्राम राजवाडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान में स्थित है, विवादित आराजी अपीलान्टान व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 4 के पति व पिता नन्दराम नवीरा पिराना का हक व हिस्से की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी थी। तथा नन्दराम के परिवार का सजरा निम्नानुसार है। नन्दराम फोत सन्तरा (पत्नी) रेस्पोडेन्ट संख्या (2), भगवानसिह (पुत्र) रेस्पो संख्या (3), रामकिशन (पुत्र) रेस्पोडेन्ट संख्या (3), तीजकोर (पुत्री) अपीलान्ट संख्या (1), कश्मीरा पुत्री अपीलान्ट संख्या (2) अपीलान्टान व रेस्पोडेन्टान सं० 2 लगायात 4 के पति व पिता नन्दराम अपने हिस्से की आराजी पर काबिज रहकर काश्त कार्य करते थे। अपीलान्टान मृतक नन्दराम की जायन्दा पुत्रीयान है। नन्दराम की आराजी मे मिन अपीलान्टान का भी हक व हिस्सा है। रेस्पोडेन्टान संख्या 2 लगायात 4 चालाक व बेईमान किस्म के व्यक्ति है। जिन्होने बाला–बाला नन्दराम की आराजी का विरासत का नामान्तकरण संख्या 281 दिनांक 02–06–1994 वाके ग्राम राजवाडा तहसील मुण्डावर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व उसके कर्मचारीयो से साज–बाज होकर बाला–बाला अपने नाम दर्ज करवा लिया, जबकि मिन अपीलान्टान मृतक नन्दराम की जायन्दा पुत्रियान है। जिनका भी नन्दराम की आराजी मे बराबर–बराबर का हक व हिस्सा है। ऐसा अंकन राजस्व रिकार्ड में रहने से अपीलान्टान के विधिक अधिकारों पर कुठाराघात होता है। अपीलान्टान उक्त नामान्तकरण को निरस्त करवाकर अपने पिता नन्दराम की आराजी में अपना 2/5 हक हिस्सा दर्ज करवाने की अधिकारी है। अपीलान्टान के पिता की आराजी का एक अन्य विरासत का नामान्तकरण संख्या 698 दिनांक 11–11–2007 वाके ग्राम राजवाडा के द्वारा आराजी खसरा नम्बर 250 रकबा 0.03, आराजी खसरा न० 254 रकबा 0.08, 546 रकबा 0.02, 1062 रकबा 0.02 का नामान्तकरण अपीलान्टान के पक्ष में मृतक नन्दराम का विधिक वारिस मानते हुये नामान्तकरण अपीलान्टान व रेस्पोडेल्टान संख्या 2 लगायत 4 के हक में विधिवत राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया है। जिससे यह

सी कलक्टर
थल-तिजारा (राज०)

साबित होता है, कि अपीलान्टान अपने पिता नन्दराम की विधिक वारिसान है। अपीलान्टान जो कि ग्रामीण परिवेश की औरत है। तथा शादी के बाद अपनी ससुराल में रहती है। रेस्पोडेन्टान द्वारा दर्ज करवाये गये नामान्तकरण के बाबत कतई जानकारी नहीं थी, दिनांक 04.11.2019 को अपीलान्टान हल्का पटवारी के पास किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए गई तो उक्त गलत अंकन का ज्ञान हुआ जिस पर अपीलान्टान ने पटवारी हल्का से नामान्तकरण की नकल प्राप्त की गयी तथा रेस्पाडेन्टान संख्या 2 लगायत 4 से उक्त नामान्तकरण को निरस्त कराकर अपने नाम नामान्तकरण में अंकन हेतु कहा, जिस पर रेस्पोडेन्टान संख्या 2 लगायत 4 ने साफ इन्कार कर दिया तथा आराजी को दीगर व्यक्ति अथवा संस्था आदि को रहन, बय आदि से मुन्तकिल करने की ऐलानिया धमकी दी। यदि रेस्पाडेन्टन अपने नापाक इरादो मे कामयाब हो गये तो अपीलान्टान को अजहद हानि होगी, जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी सुरत मे नही आंकी जा सकेगी। अपीलान्टान ग्रामीण परिवेश की औरत है। जिनको तहत अदालत द्वारा पारित निर्णित नामान्तकरण की कतई जानकारी नही थी, हल्का पटवारी के पास दिनांक 04–11–2019 को विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त करने के लिये जाने पर हुई है। तथा रेस्पोडेन्टान सं० 2 लगायत 4 द्वारा दिनांक 04–11–2019 को इन्तकाल को दुरूस्त कराने से साफ इन्कार दिया है। जिस पर बिना देरी किये अपील पेश की गयी है। अपील पेश करने में हुऐ विलम्ब को माफ किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र पृथक से संलग्न कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार फरमायी जाकर, अपील अपीलान्टान स्वीकर कर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 02.06.1994 नामान्तकरण संख्या 281 वाके ग्राम राजवाडा तहसील मुण्डावर निरस्त किया जावे। विद्वान वकील अपीलान्टान ने अपने कथन की पुष्टि में माननीय न्यायालयो की नजीरे क्रमशः 2022 (2) आर.आर.टी पेज संख्या 1137 (आर.बी), जे.एल.टी (2024) एच.सी.जे जुन–जुलाई, जे.एल.टी (2024) एच.सी.जे अक्टू. नवम्बर–दिसम्बर 131, 2012 (1) आर.आर.टी पेज संख्या 666 (आर.बी), जे.एल.टी (2023) एच.सी.जे सितम्बर–अक्टूम्बर 21, जे.एल.टी (2023) एच.सी.जे मार्च–7, आर.आर.टी (2001)(1) पेज संख्या 533, आर.आर.टी (2003) पार्ट–प्रथम पेज संख्या 366, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 धारा 6,8 मय अनुसूची (प्रथम)

विद्वान वकील रेस्पोडेन्टान संख्या 17/1 लगा. 17/5, 18, 19 ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुएं निवेदन किया है, कि मृतक नन्दराम की विरासत का नामान्तकरण संख्या 281 दिनाक 02.06.1994 दर्ज कर निर्णित किया गया, उस समय हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार बेटी व बेटो को पिता की सम्पति में बराबर का उत्तराधिकार बनाने का प्रावधान नही था, तथा दिनाक 20.12.2004 से पूर्व किसी भी पैतृक सम्पति का विभाजन रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 का 16 अधीन सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत किसी विभाजन विलेख के निष्पादन द्वारा किया गया हो तो उसे भी वारिस द्वारा चेलेन्ज नही किया जा सकता। क्योकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 सहदायी की सम्पति में हित के न्याय गमन के बारे में है, इस अधिनियम को 2005 के अधिनियम 39 द्वारा संशोधित किया गया है। जिसमें एक नई धारा 6 को प्रतिस्थापित किया गया, धारा 6 की उप धारा (5) व उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है, कि धारा (5) में अन्तविष्टि कोई ऐसे विभाजन पर लागु नही होगी जो 20 दिसम्बर 2004 से पूर्व किया गया है। जिस सूरत में अपीलान्टान किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है। तहत अदालत द्वारा मृतक नन्दराम की विरासत का नामान्तकरण संख्या 698 दिनाकं 11.11.2007 में दर्ज किया गया है, जो हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के तहत जायज वारिसो की जॉच कर दर्ज किया गया है। जिसमें मृतक नन्दराम के पुत्र व पुत्रीयो को बराबर का हक व हिस्सा दर्ज किया गया है। अपीलान्ट द्वारा पेश अपील विलम्ब से पेश की गयी है, विलम्ब को कोई युक्तियुक्त/संतोप्रद कारण भी अंकित नही किया गया है, अत्याधिक विलम्ब के मामलो में दिन–प्रतिदिन का ब्यौरा पेश करने का प्रावधान है, अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई ठोस साक्ष्य सबूत पेश नही किया गया है, ऐसी सूरत मे अपील अपीलान्ट मियाद के बिन्दू पर खारिज की जावे। विद्वान वकील रेस्पोडेन्टान ने अपने कथन की पुष्टि में माननीय न्यायालयो की नजीरे क्रमशः सिविल अपील संख्या 6389/2025 सरोज सलकन बनाम हुमा सिंह, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 धारा 6,8 मय अनुसूची (प्रथम), विनीता शमा बनाम राकेश शर्मा 11 अगस्त 2020, पी.हेमामालिनी बनाम के.पलानी मलाई 03.08.2021, श्रीमती गायत्री बनाम डोडडा वैक्टस्वामी 24.11.2021, ए.आई.आर 2020

विद्वान वकील रेस्पोडेन्टान संख्या 10/1, 10/2, 20/1 लगा0 20/5 ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुए निवेदन किया है, कि तहत अदालत द्वारा विवादित नामान्तकरण संख्या 281 दिनाक 02.06.1994 वाके ग्राम राजवाडा तहसील मुण्डावर दर्ज व निर्णित किया गया है। नामान्तकरण संख्या 281 के आधार पर रेस्पोडेन्टान संतारा देवी, रामकिशन, भगवान सिंह के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हो गये जिस बारे में अपीलान्टान को जानकारी थी, दिनाक 02.06.1994 के बाद रेस्पो0 संख्या 1 लगा0 3 से दीनाराम ने 1/3 भाग खरीद किया था। जिसका नामान्तकरण संख्या 324 दर्ज हुआ था। रेस्पोडेन्टान क्रमशः अजीत सिंह, महेश कुमार, राजेश, महावीर पुत्रान व बंसन्ती देवी पत्नी गुरूदयाल ने आराजी खसरा न0 1124 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा (0.94 है0) का 1/3 भाग दिनाक 20.10.2000 को दीनाराम से खरीद किया जिसका

...सा कलक्टर
...तिजारा (राज०)

नामान्तकरण संख्या 405 दर्ज हुआ था, तथा 1/3 भाग दिनाक 29.05.2000 को रामकिशन पुत्र नन्दराम से खरीद किया। इस प्रकार मृतक गुरूदयाल का 2/3 भाग हो गया जिसका नामान्तकरण संख्या 391 दर्ज हुआ था एंव रेस्पो0 कमशः उम्मेद सिंह, कल्लुराम पुत्रान रामप्रसाद की माता चिडिया को दिनाक 01.08.2006 को आराजी खसरा न0 316 रकबा 1 बिघा 2 बिस्वा का (समस्त भाग) आराजी का बेचान करके रेस्पोडेन्ट संख्या 1 संतरा देवी प्रतिफल प्राप्त किया है। जिसका नामान्तकरण संख्या 674 दर्ज हुआ तथा रेस्पोडेन्टान संख्या 1 के बेचान करने के बाद विवादित आराजी आगे 2–3 बार दीगर लोगो को विक्रय की जा चुकी है। तथा नामान्तकरण संख्या 281 का राजस्व रिकार्ड में अमल दर्ज होने के बाद इसी विवादित आराजी के विक्रय व विनिमय बाबत नामान्तकरण संख्या 281, 324, 391, 405, 419, 496, 497, 501, 502, 516, 517, 521, 532, 540, 609, 614, 624, 625, 666, 667, 673, 674, 698, 699, 797, 898, 1076, 1135, 1184, 1231, 1272, 1298, 1417, 1594, 1618 दर्ज हो चूके है, राजस्व रिकार्ड अन्य खरीददार व पुनः विक्रय व विनिमय के बाद अन्य खरीददारो का नाम दर्ज हो चुका है। जिस बाबत अपीलान्टान को बखूबी जानकारी है। अब अपीलान्टान/रेस्पोडेन्टान ने साज बाज होकर अपील पेश की है। जो खारिज योग्य है। मिन खरीददार रेस्पोडेन्टान को नुकसान पहुचाने के उद्देशय से 25 साल बाद बिना उचित कारण बताये अपील पेश की गयी है। दिनाक 04.11.2019 की कथाकथित घटना कतई गलत बनावटी व झूंठी है, अपीलान्ट को नामान्तकरण संख्या 281 दर्ज व निर्णित होने के बाद से ही राजस्व रिकार्ड की जानकारी थी, तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 2 जो अपीलान्ट की माता है, जिससे अपीलान्टान के मधुर संबंध थे। अपीलान्टान का विवाह के बाद से सदैव आना जाना रहा है, जब–जब रेस्पोडेन्ट ने हम रेस्पोडेन्टान/खरीददार को भूमि बेचान की तो अपीलान्टान को हमेशा जानकारी रही है। दिनाक 11.11.2007 को अपीलान्टान ने आराजी खसरा न0 250, 254, 546, 1062 को विरासत का नामान्तकरण दर्ज करवाना अपील के जिम्मन न0 5 में दर्ज किया गया है। इन तथ्यो से स्पस्ट है, की अपीलान्टान को दिनाक 11.11.2007 को राजस्व रिकार्ड के बाबत जानकारी थी व दिनाक 11.11.2007 को समस्त रिकार्ड की जानकारी लेकर ही तो उक्त खसरा न0 का नामान्तकरण संख्या 698 अपीलान्टान ने अपने नाम दर्ज कराया था। अपील में वर्णित विवादित आराजीयात में अपीलान्टान का नाम दर्ज नही है, इस तथ्य की जानकारी हो चुकी थी। दिनाक 11.11.2007 से दिनाक 04.11.2019 तक की अवधि में अपील पेश नही करने का भी कोई उचित कारण दर्ज नही किया गया है। अपील अपीलान्टान मियाद के बिन्दू पर ही खारिज की जावे। अपने कथन की पुष्टि में माननीय न्यायालयो की नजीरे Poonaram &ors us. Shivram &ors. 2021(1) आर.आर.टी 391 पेश की गयी।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव ककुलाय की बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 281 निर्णय दिनांक 02.06.1994 वाके ग्राम राजवाडा तहसील मुण्डावर जिला खैरथल–तिजारा के विरूद्व पेश की गयी है, जो करीब 25 वर्ष 10 माह 6 दिवस पश्चात विलम्ब से पेश की गयी है। अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून अधिनियम 1963 में अपीलान्ट द्वारा तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 02.06.1994 की सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 04.11.2019 को होना दर्शाया गया है, माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेंर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तो में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्वान्त प्रतिपादित किया हुआ है, अतः न्यायहित में नरम रूख अपनाते हुऐ अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलान्ट ने मुख्य कथन किया है, कि अपीलान्टान मृतक नन्दराम की जायन्दा पुत्रीयान है। नन्दराम की आराजी मे मिन अपीलान्टान का भी हक व हिस्सा है। रेस्पोडेन्टान संख्या 2 लगायात 4 जिन्होने बाला–बाला नन्दराम की आराजी का विरासत का नामान्तकरण संख्या 281 दिनांक 02–06–1994 वाके ग्राम राजवाडा तहसील मुण्डावर बाला–बाला अपने नाम दर्ज करवा लिया, जबकि मिन अपीलान्टान मृतक नन्दराम की जायन्दा पुत्रियान है। जिनका भी नन्दराम की आराजी मे बराबर–बराबर का हक व हिस्सा है। अपीलान्टान के पिता की आराजी का एक अन्य विरासत का नामान्तकरण संख्या 698 दिनांक 11–11–2007 वाके ग्राम राजवाडा अपीलान्टान के पक्ष में मृतक नन्दराम का विधिक वारिस मानते हुये नामान्तकरण अपीलान्टान व रेस्पोडेल्टान संख्या 2 लगायत 4 के हक में विधिवत राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया है। जिससे यह साबित है, कि अपीलान्टान अपने पिता नन्दराम की विधिक वारिसान है। रेस्पोडेन्टान का कथन है, कि मृतक नन्दराम की विरासत का नामान्तकरण संख्या 281 दिनाक 02.06.1994 दर्ज कर निर्णित किया गया, उस समय हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार बेटी व बेटो को पिता की सम्पति में बराबर का उत्तराधिकार बनाने का प्रावधान नही था, तथा दिनाक 20.12.2004 से पूर्व किसी भी पैतृक सम्पति का विभाजन रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 का 16 अधीन सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत किसी विभाजन विलेख के निष्पादन द्वारा किया गया हो तो उसे भी वारिस द्वारा चेलेन्ज नही किया जा सकता। क्योकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 सहदायी की सम्पति में हित के न्याय गमन के बारे में है, इस अधिनियम को 2005 के अधिनियम 39 द्वारा संशोधित किया गया है। जिसमें एक नई धारा 6 को प्रतिस्थापित किया गया, धारा 6 की उप धारा (5) व उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है, कि धारा (5) में अन्तविष्टि कोई ऐसे विभाजन पर लागु नही होगी जो 20 दिसम्बर 2004 से पूर्व किया गया है। तहत अदालत द्वारा मृतक नन्दराम की विरासत का नामान्तकरण संख्या

सा कलक्टर
रजल-तिजारा (राज0)

698 दिनाक 11.11.2007 में दर्ज किया गया है, जो हिन्दू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के तहत जायज वारिसो की जॉच कर दर्ज किया गया है। जिसमें मृतक नन्दराम के पुत्र व पुत्रीयो को बराबर का हक व हिस्सा दर्ज किया गया है। प्रकरण में वर्णित आराजीयात के बाबत एक राजस्व वाद अपीलान्टान के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर में धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया हुआ है, जो विचाराधीन है, तहत अदालत के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। तहत अदालत द्वारा नामान्तकरण संख्या 281 दिनाक 02.06.1994 को दर्ज किया गया है, नामान्तकरण की पर मृतक नन्दराम के वारिसो के विवरण में केवल सन्तरा, भगवानसिंह, रामकिशन का ही नाम अंकित है, जबकि अपीलान्टान भी मृतक नन्दराम की जायज पुत्रीया/वारिस है, उनका विवरण अंकित नही किया गया है, अर्थात तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने/सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय पारित किया गया है। पारित निर्णय न्यायोचित नही है, अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीक़ार की जाती है, तथा तहत अदालत तहसीलदार मुण्डावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक दिनाक 02.06.1994 नामान्तकरण संख्या 281 ग्राम राजवाडा तहसील मुण्डावर निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है, प्रकरण की पुनः विधिक प्रावधानानुसार जॉच कर अपीलान्ट को भी सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर अधिकतम 2 माह में विधि–सम्मत पुनः निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रमाणित–प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ वापिस भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 16.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
खैरथल–तिजारा (राज0)